न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 17/2019

1. मनोज कुमार मुदगल पुत्र श्री विशम्भरदयाल मुदगल। जातिगण ब्राह्मण निवासी संतर
2. गिरीश पाराशर पुत्र श्री रमेशचन्द्र पाराशर | रोड तहसील व जिला धौलपुर
3. त्रिपुरारी शर्मा पुत्र श्री जादोसिंह जाति ब्राह्मण निवासी गोकुल भवन संतर रोड तहसील व जिला धौलपुर

—— वादीगण

बनाम

1. केहरी पुत्र पुन्नीलाल जाति लोधा ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा प्रबंधक स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयुपर शाखा धौलपुर जिला धौलपुर
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर
4. महेश शर्मा पुत्र श्री चिरोंजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी संतर रोड धौलपुर हाल निवासी चरन हाउस चन्दन विहार कॉलोनी सैंपऊ रोड धौलपुर——— प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक 10.02.2025

वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 09.04.2019 को एक राजस्व वाद बाबत् बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 29.11.2019 को प्रारंम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 284 दिनांक 03.06.2024 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है।

तहसीलदार धौलपुर के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर वकील प्रतिवादी संख्या 4 ने इस आशय की आपत्ति पेश की, कि कुर्रे प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व रिकार्डेड खातेदारों को नोटिस नहीं दिया है, प्रतिवादी संख्या 4 महेश शर्मा की बैक पर कुर्रे प्रस्ताव अन्य खातेदारों से मिलकर बनाये है। कुर्रे प्रस्ताव तैयार करने में नियम 18 से 21 की पूर्ण एवं प्रभावी पालना नहीं की है। विवादित आराजी में से जो हिस्सा उत्तरदाता महेश शर्मा को दिया है, वह छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये है। जिसमें काश्त करना संभव नहीं है। कुर्रे प्रस्ताव बनाने के लिए मौके पर पटवारी हल्का या तहसीलदार धौलपुर मौके पर नहीं गये है। इसलिए आपत्ति कुर्रे स्वीकार किया जाकर कुर्रे प्रस्ताव निरस्त किये जाकर पुनः कुर्रे प्रस्ताव मंगाये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण ने जबाब आपत्ति पेश कर कथन किया कि विभाजन प्रसताव पर आपत्ति केवल प्रकरण के निस्तारण में देरी करने के लिए वादीगण को तंग व परेशान करने के लिए की गयी है जबकि प्रतिवादी संख्या 4 को कुर्रेजात तैयार करने से पूर्व सूचना दी गयी थी। विवाजन प्रस्ताव तहसीलदार धौलपुर की उपस्थिति में तैयार किये गये है। और प्रतिवादी संख्या 4 ने वक्त विभाजन प्रस्ताव कोई आपत्ति नहीं की। अतः विभाजन प्रस्ताव प्रतिवादी संख्या 4 की उपस्थिति में तैयार किये गये थे। अतः अब प्रतिवादी संख्या 4 को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 को विभाजन प्रस्ताव में आराजी खसरा नम्बर 753/2, 754, 809/1 कुल रकवा 0.1866 हैक्टेयर दक्षिण दिशा में एक साथ मिला हुआ दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा पूर्ण दिया गया है। नियमों की विधिवत पालना की गयी है। मौके पर पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार धौलपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव विधि संगत है। पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपत्ति प्रतिवादी संख्या 4 खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील प्रतिवादी संख्या 4 ने अपनी आपत्ति के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है, पटवारी हल्का व तहसीलदार धौलपुर ने बगैर मौके पर जाये, छोटे–छोटे हिस्सों में विभाजन करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये है, जिस कारण काश्त करना संभव नहीं है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव निरस्त करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने की प्रार्थना की है।

वकील वादीगण ने दौराने बहस कथन किया कि दावा वादी मात्र बंटवारे का है, प्रतिवादी संख्या 4 दौराने वाद विवादित आराजी में से क्रय किया है। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार धौलपुर ने विधिवत रूप से नोटिस निकाल कर सभी पक्षकारों को सूचित किया था। तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित की। प्रतिवादी संख्या 4 को उक्त विभाजन प्रस्ताव के बारे में पूर्ण जानकारी थी। फिर भी उन्होंने तहसीलदार धौलपुर के समक्ष कोई आपत्ति पेश नहीं की। पक्षकारों के मध्य सह खातेदारी की भूमि का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का उनके हिस्से अनुसार विभाजन किया जाना आवश्यक है, सुनवाई हेतु प्रतिवादीगण को नोटिस भी जारी किये गये है, तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है जहाँ पर भी उनके द्वारा कोई विरोध प्रकट किया जाना जाहिर नहीं होता है, ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना चाहिए, इस बाबत् आर.बी.जे. (21) 2014 पेज संख्या 539 पेश की। विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज पक्षकारों के हिस्से अनुसार व सही है। प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने हेतु आपत्ति पेश की है। आपत्ति खारिज की जाकर दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया, विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है, कि तहसीलदार धौलपुर ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारों को विधिवत रूप से नोटिस जारी किये थे। प्रतिवादी संख्या 4 आदेश दिनांक 03.09.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के स्वीकार होने पर पक्षकार प्रकरण बनाये गये। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है, कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय प्रतिवादी संख्या 4 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज उनके हिस्से अनुसार हिस्सा प्रदान किया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 को तहसीलदार धौलपुर द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत आपस में लगे हुए 753/2, 754, व 809/1 दिये है। इस प्रकार तहसीलदार धौलपुर द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में दर्ज पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय आपत्ति प्रतिवादी संख्या 4 खारिज करते हुए दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 753 रकवा 0.4679 हैक्टेयर, 809 रकवा 0.1897 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 754 रकवा 0.0885 हैक्टेयर स्थिति ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म
1. गिरीश पाराशर पुत्र रमेश चन्द हि0 316/1475 जाति ब्राह्मण सा. संतर रोड़ धौलपुर, व त्रिपुरारी शर्मा पुत्र जादो सिंह हि0	753/1	0.3730है0	बा0दो0

न्यायिक सदस्य राजस्व मण्डल
धौलपुर (राज0)

843/1475 जाति ब्राह्मण सा. गोकुल भवन संतर रोड़ धौलपुर व मनोज कुमार मुद्गल पुत्र विशम्भरदयाल हि0 316/1475 जाति ब्राह्मण सा. संतर रोड़ धौलपुर खातेदार

2.	महेश शर्मा पुत्र चिरोंजीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण सा0 चरन हाउस चन्दन विहार कोलोनी सैपऊ धौलपुर खातेदार	753/2	0.0949है0	बा0दो0
		754	0.0885है0	बा0दो0
		809/1	0.0032है0	बा0दो0
3.	केहरीसिंह पुत्र पुन्नीलाल जाति लोधा सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/2 स्टेट बैंक आफ इन्डिया शाखा धौलपुर	809/2	0.1865 है0	बा0दो0

कुल किता 5 रकबा 0.7461 हैक्टेयर बाकै ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर कुल लगान 5.31 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बैंकों के राहिन के इन्द्राज बदस्तूर रखे जावे। विवादित आराजी के कुल लगान 5 रूपये 31 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 10 रूपये 62 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर फर्द डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलभुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर (राज0)

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर (राज0)

JUDICIAL

SPECIAL ADHESIVE

डिकी व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत : सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर

व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 17 / 2019

1. मनोज कुमार मुद्गल पुत्र श्री विशम्भरदयाल मुद्गल। जातिगण ब्राह्मण निवासी संतर
2. गिरीश पाराशर पुत्र श्री रमेशचन्द्र पाराशर । रोड तहसील व जिला धौलपुर
3. त्रिपुरारी शर्मा पुत्र श्री जादोसिंह जाति ब्राह्मण निवासी गोकुल भवन संतर रोड़ तहसील व जिला धौलपुर ——— वादीगण

बनाम

1. केहरी पुत्र पुन्नीलाल जाति लोधा ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा प्रबंधक स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयुपर शाखा धौलपुर जिला धौलपुर
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर
4. महेश शर्मा पुत्र श्री चिरोंजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी संतर रोड धौलपुर हाल निवासी चरन हाउस चन्दन विहार कॉलोनी सैपऊ रोड़ धौलपुर———— प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाझा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी श्री सुरेश चन्द्र कटारा शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई एवं श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट मिनजानिव मुद्यालह ने पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी स्थिति ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म
1. गिरीश पाराशर पुत्र रमेश चन्द्र हि0 316 / 1475 जाति ब्राह्मण सा. संतर रोड़ धौलपुर, व त्रिपुरारी शर्मा पुत्र जादो सिंह हि0 843 / 1475 जाति ब्राह्मण सा. गोकुल भवन संतर रोड़ धौलपुर व मनोज कुमार मुद्गल पुत्र विशम्भरदयाल हि0 316 / 1475 जाति ब्राह्मण सा. संतर रोड़ धौलपुर खातेदार	753 / 1	0.3730है0	बा0दो0
2. महेश शर्मा पुत्र चिरोंजीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण	753 / 2	0.0949है0	बा0दो0
सा0 चरन हाउस चन्दन विहार कोलोनी सैपऊ	754	0.0885है0	बा0दो0
धौलपुर खातेदार	809 / 1	0.0032है0	बा0दो0
3. केहरीसिंह पुत्र पुन्नीलाल जाति लोधा सा0 देह	809 / 2	0.1865 है0	बा0दो0
खातेदार राहिन हि0 1 / 2 स्टेट बैंक आफ			

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

इन्डिया शाखा धौलपुर

कुल किता 5 रकवा 0.7461 हैक्टेयर वाके ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर कुल लगान 5.31 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बैंकों के राहिन के इन्द्राज बदस्तूर रखे जावे।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से निर्णय दिनांक 10.2.2025 के संदर्भ में आज दिनांक 25.02.2025 को जारी की गई।

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर
धौलपुर (राज0)